15 से 21 जून,2016 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ ....

* म. प्र. भू–राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश,2015 को पुनः लाए जाने और निर्धारित समय–सीमा के अंदर इसे विधानसभा में पास कराकर, विधेयक का रूप दिए जाने हेतु चेम्बर द्वारा प्रदेश के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री, श्री रामपाल सिंह जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री–माननीया श्रीमती माया सिंह एवं प्रमुख सचिव, राजस्व को पत्र प्रेषित किए गए ।

* मेसर्स दीनदयाल इण्डस्ट्रीज लि., बिड़लानगर के पास लगे हुए ट्रांसफार्मर के स्थानान्तरण हेतु मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर रीजन, महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. को पत्र प्रेषित किए गए ।

* शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्योपुर में पर्याप्त दवाईयाँ एवं स्टॉफ उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री–डॉ. नरोत्तम मिश्रा जी को पत्र प्रेषित किया गया ।

* यातायात नगर के व्यवसाईयों/ट्रांसपोर्ट्र्स की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यातायात नगर के सम्पूर्ण मार्गों का डामरीकरण अथवा सीमेंटेट कराए जाने हेतु चेम्बर द्वारा महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर एवं आयुक्त, नगर–निगम को पत्र प्रेषित किए गए ।

* माननीय श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ म. प्र. चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, भोपाल एवं चेयरमैन, दैनिक भास्कर ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज के मुख्यातिथ्य में चेम्बर द्वारा ग्वालियर संभाग की व्यापारिक एवं औद्योगिक समस्याओं पर 18 जून को 'चेम्बर भवन' में चर्चा का आयोजन किया गया । साथ ही, इस अवसर पर चेम्बर द्वारा माननीय श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल जी के सम्मान में स्वागत् समारोह का आयोजन किया गया ।

* बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस (12442/12441) का स्टॉपेज ग्वालियर में दिनांक 21 जून के पश्चात् भी यथावत् बनाए रखे जाने हेतु चेम्बर द्वारा केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री–माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को पत्र प्रेषित किया गया ।

* प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री–माननीय श्री जयंत मलैया एवं एडीशनल चीफ सेकेट्री–श्री ए. पी. श्रीवास्तव को पत्र लिखकर, ईआरडब्ल्यू ब्लेक राउण्ड/सेक्शन पाइप एवं गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप्स को एन्ट्री टैक्स से छूट प्रदान किए जाने की माँग की गई ।

* ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 'साडा' भवन सिटी सेंटर, ग्वालियर द्वारा खाताधारक, श्री अखिलेश गाँगिल के खाते से एक ही दिन में एनईएफटी के द्वारा रू. 10.30 लाख की राशि ट्रांसफर किए जाने की शिकायत चेम्बर द्वारा आंचलिक प्रबंधक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भोपाल एवं धोखाधड़ी के इस प्रकरण की उचित जाँच हेतु पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित किए गए ।

* शहरी सीमा के अंदर स्थापित सभी पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों से सम्पत्ति कर की वसूली परिक्षेत्र क्रमांक–3 की दर के हिसाब से गणना कर, वसूल किए जाने की माँग चेम्बर द्वारा महापौर, श्री विवेकनारायण शेजवलकर एवं आयुक्त, नगर–निगम ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर की गई ।